

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक-

संख्या-12/निजी-7010/2024 सा0प्र0- /सुश्री सोनाली, बि0प्र0से0
(को0क्र0-963/24), वरीय उप समाहर्ता, भागलपुर के द्वारा स्वयं की चिकित्सा हेतु
दिनांक-26.09.2025 से दिनांक-15.01.2026 तक कुल-112 (एक सौ बारह) दिनों की
उपभोग की गयी छुट्टी को निम्नरूपेण घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- (i) दिनांक-26.09.2025 से दिनांक-18.11.2025 तक (कुल-54 दिन) बिहार सेवा
संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत उपार्जित छुट्टी के रूप में,
 - (ii) दिनांक-19.11.2025 से दिनांक-08.12.2025 तक (कुल-20 दिन) बिहार सेवा
संहिता के नियम-232 के तहत अर्द्धवैतनिक छुट्टी के रूप में,
 - (iii) दिनांक-09.12.2025 से दिनांक-15.01.2026 तक (कुल-38 दिन) बिहार सेवा
संहिता के नियम-236 के तहत असाधारण (अवैतनिक) छुट्टी के रूप में।
2. उक्त छुट्टी की स्वीकृति के उपरान्त सुश्री सोनाली के पक्ष में 00 (शून्य) दिनों की
उपार्जित छुट्टी एवं 00 (शून्य) दिनों की अर्द्धवैतनिक छुट्टी आदेय होगी।
3. सुश्री सोनाली के द्वारा स्वयं की चिकित्सा हेतु दिनांक-26.09.2025 से
दिनांक-15.01.2026 तक कुल-112 (एक सौ बारह) दिनों की उपभोग की गयी छुट्टी की
स्वीकृति से संबंधित पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-4562, दिनांक-09.03.2026 को एतद्
द्वारा रद्द किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-12/निजी-7010/2024 सा0प्र0-.....8820...../पटना, दिनांक-...!8...5.../26

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार,
पटना/महालेखाकार (ले0 एवं0 ह0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक
दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/संबंधित
कोषागार पदाधिकारी/सुश्री सोनाली, बि0प्र0से0 (को0क्र0-963/24), वरीय उप समाहर्ता,
भागलपुर /आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट
पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

0
18/05.2026
सरकार के उप सचिव।